संख्या- 45 / 2015 / 2082-प्रो0 / 51-2015-20(5) / 2015

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
विशेष सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

१- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
२- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 2015

विषय: अन्य राज्यों के मा0 प्रमुख लोकायुक्त / लोकायुक्तगण को प्रदेश भ्रमण के दौरान पारस्परिक आधार पर राज्य आतिथ्य दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, २०११ के प्रस्तर- १५ के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य राज्यों के मा0 प्रमुख लोकायुक्त / लोकायुक्तगण को उत्तर प्रदेश में भ्रमण के दौरान पारस्परिक आधार पर राज्य अतिथि घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

२- अतएव, अन्य राज्यों के मा0 प्रमुख लोकायुक्त / लोकायुक्तगण को उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने पर उनके प्रवास, भोजन व परिवहन (केवल स्थानीय यात्रा हेतु) की व्यवस्था नि:शुल्क की जाएगी। यह व्यवस्था अधिकतम चार दिन के लिए अनुमन्य होगी।

३- अन्य राज्यों द्वारा मा0 प्रमुख लोकायुक्त / लोकायुक्तगण को उनके राज्यों में भ्रमण के दौरान दी जाने वाली सुविधा की सूची संलग्न है।

३- सुरक्षा व्यवस्था शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार ही सम्पन्न की जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित गुप्ता)
विशेष सचिव।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 45/2015/2082(01)-प्रो0/51-2015-२०(०५)/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव / प्रशासक
२- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
३- सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
४- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन, नयी दिल्ली।
५- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
६- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
७- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
८- सचिवालय नियंत्रण कक्ष।
९- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

अन्य राज्य सरकार द्वारा मा0 लोकायुक्त गण को दी जाने वाली राज्य अतिथि की सुविधा

प्रदेश का नाम	प्राप्त सूचना
बिहार	पारस्परिक आधार पर राज्य आतिथ्य
उड़ीसा	तदैव
पश्चिम बंगाल	सामान्यतया राज्य अतिथि श्रेणी में नहीं आते हैं किन्तु मुख्य सचिव के अनुमोदन से दिया जा सकता है
पंजाब	पारस्परिक आधार पर राज्य आतिथ्य
राजस्थान	राज्य आतिथ्य दिया जाता है।
मध्य प्रदेश	तदैव
हरियाणा	पारस्परिक आधार पर राज्य आतिथ्य
महाराष्ट	शासकीय कार्य से राज्य आतिथ्य
कर्नाटक	शासकीय कार्य से राज्य आतिथ्य
उत्तराखण्ड	राज्य आतिथ्य नहीं दिया जाता है।
गुजरात	राज्य आतिथ्य नहीं दिया जाता है।
त्रिपुरा	तदैव
चण्डीगढ़	तदैव
केरल	तदैव
दादर नागर हवेली	राज्य आतिथ्य नहीं दिया जाता है।
तमिलनाडु	शासकीय कार्य से राज्य आतिथ्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।